मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 295/284/2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22.2.24

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश।

विषय :- नायब तहसीलदार संवर्ग का उन्नत ग्रेड वेतन रू. 3600/- में प्रारंभिक वेतन निर्धारण एवं आगामी वेतन वृद्धि तिथि के संबंध मे।

संदर्भ :- आपकी टीप क्रमांक 78/सचिव/राजस्व दिनांक 23.01.2023

---00---

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-13/01/सात-4-ए/06 आदेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 नायब तहसीलदार संवर्ग के वेतनमान का उन्नयन कर रू. 5500-175-9000 (वेतन बैण्ड 2 रू. 9300-34800 मे देय ग्रेड वेतन रू. 3200/- प्रतिमाह को उन्नत कर ग्रेड वेतन रूपये 3600/-प्रतिमाह) दिनांक 01-09-2007 से स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में वेतन निर्धारण किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. उन्नत ग्रेड वेतन के लाभ प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित कर्मचारी के विकल्प का प्रावधान रखा गया है। वेतन निर्धारण के लिए संबंधित शासकीय सेवक आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समय-सीमा में विकल्प, वर्तमान कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत कर सकेंगें। एक बार प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम होगा।
2. बिन्दु क्र. 1 मे दिये गये निर्देशानुसार विकल्प प्राप्त होने पर वेतनवृद्धि की तिथि का निर्धारण होगा।
3. दिनांक 01-09-2007 से ग्रेड वेतन उन्नयन से राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार संवर्ग में नियुक्त अभ्यर्थी का नायब तहसीलदार सेवा में न्यूनतम रूपये 10230/- (पे बैंड में वेतन) पर वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप यदि नायब तहसीलदार संवर्ग में दिनांक 01-09-2007 के पूर्व नियुक्त/ पदोन्नति का वेतन रूपये 10230/- (पे बैण्ड में वेतन) से कम होने की स्थिति में ऐसे नायब तहसीलदार संवर्ग का वेतन भी दिनांक 01-09-2007 को रूपये 10230/- (पे बैण्ड में वेतन) पर निर्धारित होगा।
4. बिन्दु क्र. 2 के परिप्रेक्ष्य में यदि किसी कर्मचारी द्वारा ग्रेड वेतन रूपये 3600 दिनांक 01-09-2007 से प्राप्त किये जाने का विकल्प प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे कर्मचारी को आगामी वेतन वृद्धि की तिथि 01-07-2008 होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रवीण कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-456

पृष्ठा.कमांक 296/284/2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22.2.2024

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
2. संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
4. सभी जिला पेंशन अधिकारी /कोषालय अधिकारी
5. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(विवेक कुमार घारू)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग